न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :249/2021

वादीगण–

1. रामकरण पुत्र बिड़दाराम
2. बगताराम पुत्र बिड़दाराम
3. तेजाराम पुत्र बिड़दाराम
4. औंकारसिंह पुत्र बिड़दाराम
   जातियान जाट निवासीगण झाड़ेली, तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. फेफा देवी पुत्री बिड़दाराम
2. सोहनी देवी पुत्री बिड़दाराम
3. पूनम पुत्र मुनीराम
4. जगदीश पुत्र मुनीराम
5. जसू पुत्री मुनीराम
   जातियान जाट निवासीगण कठौती, तहसील जायल जिला–नागौर।
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोपालराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53, 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 22/11/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा झाड़ेली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 614 रकबा 9.8015 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12/815 रकबा 10.6027 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12 रकबा 10.6108 हैक्टैयर व मौजा रामपुरा ब का खेत खसरा नंबर 374 रकबा 4.8562 हैक्टेयर रहती चली आई है। इसके अलावा पक्षकारान् के संयुक्त आय से पिता के समय ही खरीद सुदा खेताय मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 हैक्टैयर व खसरा नंबर 946/518 रकबा 2.1044 तथा मौजा छापड़ा के खेत खसरा नंबर 7/948 रकबा 5.9084 हैक्टेयर व मौजा तंवरा के खेत खसरा नंबर 69 रकबा 3.9659 हैक्टेयर भी आये हुवे हैं। वादीगण के पिता स्व.बिड़दाराम जी

22/11/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

फौत हो चुके है जिनके खातेदारी के खेताय में फौतगी म्यूटेशन भरा गया है तथा वादीगण की माता झणकारी देवी के खेताय में फौतगी भरा गया है तथा वादीगण की माता झणकारी देवी का देहान्त हो चुका है फिर भी खातेदारी में अभी नाम दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण की बहने है तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 वादीगण की बहन के वारिस उतराधिकारीगण है। वाद पत्र के अनुसार बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी रामकरण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 614 रकबा 9.8015 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 में से 6.04 बीघा दक्षिणी पश्चिमी कोने से दक्षिणी पूर्वी कोने तक लम्बाई में एवं इसी खसरा नंबर 509 में से 0.16 बीघा भूमि उतरी कोने में रास्ते के पास की रखी गई है। वादी संख्या 2 बगताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 में से 10.11 बीघा मध्य भाग व मौजा रामपुरा ब का खेत खसरा नंबर 374 रकबा 4.8562 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। वादी संख्या 3 तेजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6. 3374 हैक्टेयर में से 11 बीघा पूर्वी दक्षिणी हिस्सा व मौजा ऐवाद का खेत खसरा नंबर 48/1 रकबा 6.1512 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। वादी संख्या 4 औंकार सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 हैक्टेयर में से 10.12 बीघा उतरी भाग रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने दिनांक 22.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत झाड़ेली में स्वंय उपस्थिति एवं इकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोपालराम गोदारा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह राठौड़ ने की। इकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में इकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार के केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रामकरण पुत्र बिड़दाराम नकल जमाबन्दी ग्राम झाड़ेली तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 120, 587 , 380, 583 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये इकबाली जबाब सहमति से वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के हक बंट की भूमि का जरिये इकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक इकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत इकबाली जबाब दिनांक 22.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत इकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबाली जबाब दिनांक 22.11.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नियमुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। हमारी राय में मौजा झाड़ेली के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान खातेदारों द्वारा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नं. 614 रकबा 9.8015 हैक्टेयर व मौजा रामपुरा ब का खेत खसरा नंबर 374 रकबा 4.8562 हैक्टेयर व मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 हैक्टैयर व मौजा ऐवाद का खेत खसरा नंबर 48/1 रकबा 6.1512 हैक्टेयर भूमि के बंटवाड़े की इस्तदुआ वादपत्र के पैरा संख्या 8 में चाहे अुनसार वादीगण का वाद मुताबिक इकबाली जबाब एवं सहमति अनुसार हम स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 249/2021
जीसीएमएस नंबर–
रामकरण बनाम् फेफा देवी वगैरह

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नं. 614 रकबा 9.8015 हैक्टेयर व मौजा रामपुरा ब का खेत खसरा नंबर 374 रकबा 4.8562 हैक्टेयर व मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 हैक्टैयर व मौजा ऐवाद का खेत खसरा नंबर 48/1 रकबा 6.1512 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा वादीगण के मध्य मुताबिक उपस्थिति एवं इकबाली जबाब अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामकरण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 614 रकबा 9.8015 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 में से 6.04 बीघा दक्षिणी पश्चिमी कोने से दक्षिणी पूर्वी कोने तक लम्बाई में एवं इसी खसरा नंबर 509 में से 0.16 बीघा भूमि उतरी कोने में रास्ते के पास की रखी गई है।
2. वादी संख्या 2 बगताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 में से 10.11 बीघा मध्य भाग व मौजा रामपुरा ब का खेत खसरा नंबर 374 रकबा 4.8562 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 तेजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 हैक्टेयर में से 11 बीघा पूर्वी दक्षिणी हिस्सा व मौजा ऐवाद का खेत खसरा नंबर 48/1 रकबा 6.1512 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
4. वादी संख्या 4 औंकार सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 हैक्टेयर में से 10.12 बीघा उतरी भाग रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 22/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 249/2021
जीसीएमएस नंबर–
रामकरण बनाम् फेफा देवी वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :249/2021

वादीगण–
1. रामकरण पुत्र बिड़दाराम
2. बगताराम पुत्र बिड़दाराम
3. तेजाराम पुत्र बिड़दाराम
4. औंकारसिंह पुत्र बिड़दाराम
जातियान जाट निवासीगण झाड़ेली, तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. फेफा देवी पुत्री बिड़दाराम
2. सोहनी देवी पुत्री बिड़दाराम
3. पूनम पुत्र मुनीराम
4. जगदीश पुत्र मुनीराम
5. जसू पुत्री मुनीराम
जातियान जाट निवासीगण कठौती, तहसील जायल जिला–नागौर।
6. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–
1. श्री गोपालराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53, 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोपालराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हाजरी श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 6 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नं. 614 रकबा 9.8015 हैक्टेयर व मौजा रामपुरा ब का खेत खसरा नंबर 374 रकबा 4.8562 हैक्टेयर व मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 हैक्टैयर व मौजा ऐवाद का खेत खसरा नंबर 48/1 रकबा 6.1512 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा वादीगण के मध्य मुताबिक उपस्थिति एवं इकबाली जबाब अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 249/2021
जीसीएमएस नंबर–
रामकरण बनाम् फेफा देवी वगैरह

1. वादी रामकरण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 614 रकबा 9.8015 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 में से 6.04 बीघा दक्षिणी पश्चिमी कोने से दक्षिणी पूर्वी कोने तक लम्बाई में एवं इसी खसरा नंबर 509 में से 0.16 बीघा भूमि उतरी कोने में रास्ते के पास की रखी गई है।
2. वादी संख्या 2 बगताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 में से 10.11 बीघा मध्य भाग व मौजा रामपुरा ब का खेत खसरा नंबर 374 रकबा 4.8562 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 तेजाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 हैक्टेयर में से 11 बीघा पूर्वी दक्षिणी हिस्सा व मौजा ऐवाद का खेत खसरा नंबर 48/1 रकबा 6.1512 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
4. वादी संख्या 4 औंकार सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 509 रकबा 6.3374 हैक्टेयर में से 10.12 बीघा उतरी भाग रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 22/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/11/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

22/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner